पुस्तकालय

3171 (2)
19/12/11

सत्यमेव जयते

असंशोधित

7 DEC 2011

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

(भाग 2–कार्यवाही–प्रश्नोत्तर रहित)

प्रतिवेदन शाखा
पे०सं०सं० 11-67 तिथि 16-12-11

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"बिहार भूमि दाखिल खारिज विधेयक,२०११ स्वीकृत हो "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । बिहार भूमि दाखिल खारिज विधेयक,२०११ स्वीकृत हुआ ।

बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक,२०११

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब मैं बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक,२०११ को लेता हूं । प्रभारी मंत्री,मानव संसाधन विकास विभाग ।

श्री पी० के० शाही,मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक,२०११ को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय । "

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक,२०११ को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । पुरःस्थापित करने की अनुमत दी गयी । प्रभारी मंत्री ।

श्री पी० के० शाही,मंत्री : महोदय, मैं इसे पुरःस्थापित करता हूं ।

अध्यक्ष : यह पुरःस्थापित हुआ ।

अब मैं विचार का प्रस्ताव लेता हूं । प्रभारी मंत्री ।

श्री पी० के० शाही, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक,२०११ पर विचार हो ।"

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक,२०११ पर विचार हो"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : अब मैं खंडशः लेता हूं । खंड-२ से खंड-१२ तक में कोई संशोधन नहीं है ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"खंड-२ से खंड-१२ तक इस विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खंड-२ से खंड-१२ तक इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

"खंड-१ इस विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खंड-१ इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

" प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि
"नाम इस विधेयक का अंग बने"
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । नाम इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : अब मैं स्वीकृति का प्रस्ताव लेता हूं । प्रभारी मंत्री ।

श्री पी० के० शाही,मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि
"बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक,२०११ स्वीकृत हो ।"

अध्यक्ष : माननीय नेता विरोधी दल ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी,नेता विरोधी दल : महोदय,संभवतः दूसरी बार यह विधेयक सदन में पारित होने के लिये आया है । पहली बार भी यह पारित हुआ था । अब उन बातों में हम नहीं जाना चाहते कि किन कारणों से, बहुत तरह की बयानबाजियां भी हुईं, कुछ इधर से भी, कुछ उधर से भी हुईं मगर येन केन प्रकारेण यह सरजमीन पर नहीं आ सका । तो फिर यह विधेयक लाया गया है और उस वक्त चर्चा भी हुई कि विश्वविद्यालय की स्वायत्तता को बरकरार रखी जाय और विश्वविद्यालय की स्वायत्तता पर हमारे नेता जननायक कर्पूरी ठाकुरजी का एक बहुत ही बड़ा और अच्छा भाषण है, शाहीजी नये आये हैं उनको क्या लेना है ठाकुरजी से, ठाकुरजी का वो पढ़े भी नहीं होंगे मगर इसमें जो उद्देश्य है महोदय कि देश में उच्च शिक्षा का महत्व बढ़ता जा रहा है, ठीक बात है, राज्य सरकार भी बिहार में उच्च शिक्षा में ग्रॉस एनरॉलमेंट रैशियो के १० से बढ़ाकर २० या उससे ऊपर ले जाना चाहती है । अब मैं जानना चाहता हूं कि यह जो विधेयक आया है तो कम से कम स्वीकृति पर जब माननीय मंत्रीजी बोलेंगे तो यह जरूर बोलेंगे और बतायेंगे सदन को कि किस तरह से यह रैशियो जो आप प्रावधान कर रहे हैं उससे बढ़ेगा । क्या आज जो बिहार के लड़के इंजीनियरिंग करने के लिये, मेडिकल करने के लिये, एम०बी०ए० करने के लिये बाहर जा रहे हैं इस बिल के पास हो जाने से क्या वो रूक जायेगा और अगर रूक जायेगा तो बहुत अच्छी बात है मगर स्वायत्तता के मामले में महोदय, इसमें मैंने देखा है कि माननीय मंत्रीजी ने जो प्रावधान किया है, खास करके मुझको लगता है इसी पर अड़चन महामहिम और सरकार के बीच शायद हुई थी और अड़ंगा लगा हुआ था, अब कुलपति की नियुक्ति का मामला है तो कुलपति की नियुक्ति के मामले में मैं उन्होंने जो किया उसको भी बहुत अच्छा नहीं मानता हूं और जो आप करने जा रहे हैं, वह भी बहुत अच्छा नहीं है इसलिये कि सरकार अपना अंकुश लगाना चाहती है वह किस तरह से ।

...क्रमशः ...

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी, नेता विरोधी दल, क्रमशः- सर्च कमिटी में इन्होंने जो प्रावधान किये हैं कि प्रधान सचिव/सचिव,मानव संसाधन विकास विभाग राज्य के किसी विश्वविद्यालय के एक कुलपति,कुलाधिपति द्वारा नामित एक व्यक्ति,सरकार द्वारा नामित एक व्यक्ति, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नामित एक व्यक्ति और आई०आई०टी०,एन०आई०टी० के निदेशक में से कोई एक,अब ये पॉच होंगे या सात होंगे,यह माननीय मंत्री जी स्पष्ट करेंगे। मगर देश के विभिन्न राज्यों में कुलपति की नियुक्ति के लिए जो सर्च कमिटी बनी है,उसमें पॉच सदस्य रखे गये हैं निम्न प्रकार और मुझको लगता है कि इसमें श्री शाही जी को आपत्ति इस वजह से भी नहीं होगी कि उच्च न्यायालय के प्रति इनकी श्रद्धा भी है और वहाँ बहुत दिनों तक ये एडवोकेट जेनरल के रुप में लव्य-प्रतिष्ठित एडवोकेट के रुप में प्रैक्टिस करते रहे, इसलिए हमलोगों की भी है आदर उच्च न्यायालय के प्रति,मगर हमलोगों को बहुत सारा कानून मालूम नहीं है,पर इनको तो सारा कानून मालूम है,तो जो देश के विभिन्न राज्यों में जो व्यवस्था है,वह यह है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नामित एक व्यक्ति,जिसको आपने रखा है,उच्च न्यायालय द्वारा नामित एक व्यक्ति,अगर उच्च न्यायालय द्वारा नामित एक व्यक्ति आप इसमें रखते हैं तो इस सर्च कमिटी की और गरिमा बढ़ जायेगी, कुलाधिपति द्वारा नामित एक व्यक्ति और एक एडुकेसनिस्ट लव्य-प्रतिष्ठित राष्ट्रीय स्तर का और पाँचवा सरकार द्वारा नामित पदाधिकारी,जो कमीश्नर से कम स्तर के न हो,तो इसमें जो सरकार के स्तर पर एक पदाधिकारी नामित है और चार अन्य है,उच्च न्यायालय के है,विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के है,कुलाधिपति द्वारा नामित भी एक व्यक्ति,मगर आपने प्रधान सचिव को,जो राज्य के किसी विश्वविद्यालय के एक कुलपति को,फिर सरकार द्वारा नामित एक व्यक्ति को रखा है, तो मतलब तीन हो गये सरकार के द्वारा एक तरह से, तो अगर आप पाँच का बनायेंगे, तो तीन भारी पड़ेगा, अगर सात का बनायेंगे, तब तो ठीक है तीन भारी नहीं पड़ेगा,तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि जिस विद्यालय की स्वायतता बरकरार रखें और कोई इसमें इसतरह का प्रावधान न करें, जिससे स्वायतता खत्म होती हो और कोई ऊंगली उठती हो और फिर तीन महीना और छः महीना बिल जो है,वह किसी न किसी रुप में अड़ंगेबाजी में फँस जाय,फँसने से नुकसान हुआ है,तो सारे विश्वविद्यालयों के प्राध्यापकों का पेंशन से लेकर बहुत तरह का मामला अटका हुआ है,इसलिए जो मैंने देश में जो प्रचलित प्रणाली है,उसका उदाहरण दिया है,अगर आप उसको कर लेते हैं, तो स्वायता बरकरार रहेगी, वरना सरकार का ही अंकुश रहेगा,इतना ही मुझको कहना था।

श्री पी०के०शाही, मंत्रीः- महोदय, बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक,२०११ और लगभग इसी प्रकार पटना विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक,२०११ विधानमंडल द्वारा पारित होने के उपरान्त महामहिम के एसेंट के लिए प्रेषित किया गया था। महोदय,महामहिम ने जो अपना मत दिया है,उसे मैं सदन के सामने एक बार पढ़कर उधृत करना चाहूंगा-

Autonomy of university or autonomous functioning in running the academic and administrative affairs of the universities for growth an expansion of higher education in India has been a matter of national concerned and concensus with noble amity recommendation made

for it against state interfference by Dr. Sarvapalli Radha Krishnan in the report of the University Education Commission in 1949 as follows. Freedom of individual development is the basis of democracy exclusive control of education by the state has been an important factor infacilitating the maintenance of totalitarion tirinies. In such states institution of higher learning controled and managed by government agencies act like machinary and promote the political purpose of the state.You must resist in the interest of all democracy the trained towards governmental domination of the educational process. Higher education is undoughtedly an obligation of state but state aid is not to be confused with state control academic policies and practices. Autonomy of university was accordingly define by the founding father for achiving socital objectives of our multi front and multi level democratic structure which have ever since been duly preserved sustain and practice across India. In our cris- cross rulerlist society any governmental transgration of an interference with the sacrosanct autonomy of universities through back door method is bound to negate our social objectives in higher education. Such an endever by government to turn and treat universities as political pavalions for state H.R.D.Department is viewed not only as a non state specific question but is also directly runs counter to the state policy followed on a national concencious with regard to higher education in universities in the whole country. As such I have decided to withhold my accent to these two Bills namely Bihar State Universities Amendment Bill, 2011 and Patna University Amendment Bill 2011 as these bills inpinse upon and make inroads in the university autonomy and come within the mischief and advers consequences of violation of an about national state policy which is invoked in the country. इसी आधार पर महोदय महामहिम ने एसेंट विथहोल्ड किया। महोदय,उनके मत से यह स्पष्ट है कि एक ही विषय की चर्चा उन्होंने की है,ऑटोनोमी ऑफ यूनिवर्सिटी। यद्यपि की डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जिस वक्तव्य के आधार पर उन्होंने ऐसा मत गठित किया है,यह मूलतः जिस समय ब्रिटिश हुकूमत थी और उस समय के विश्वविद्यालयों की जो व्यवस्था थी और ब्रिटिश हुकूमत विश्वविद्यालयों के माध्यम से अपनी पद्वतियों को हमारे देश पर थोपने का काम कर रहे थे, उस परिपेक्ष्य में वह वक्तव्य था। कालांतर में १९४९ का यह वक्तव्य है,उसके उपरान्त जो देश में अनुभव प्राप्त हुए हैं,विशेष तौर पर हमारे राज्य में जो विश्वविद्यालयों की स्थिति है और जो शिक्षा के क्षेत्र में पिछले तीन, चार दशकों में लगातार गिरावट आयी है,उस कंटेक्स्ट में यह देखने की आवश्यकता है कि क्या ऑटोनोमि,जिस ऑटोनोमि की बात की

जा रही है,वह ऑटोनोमि| अगर राज्य सरकार उनके एकेडेमिक्स में इन्टरफेयर करती है,तब उस ऑटोनोमि| में इन्टरफेयरेंस माना जायेगा या राज्य सरकार अगर यह देखने का प्रयास करती हैं कि जो जनता का धन विश्वविद्यालयों को दिया जा रहा है,उसका उचित ढंग से खर्च किया जा रहा है अथवा नहीं। महोदय, इस वर्ष पिछला बकाया और वर्तमान जो वेतन-भत्ता मद में राज्य के विश्वविद्यालयों को लगभग २३०० करोड़ रुपये दिये जाने की आवश्यकता है। महोदय,हमने एक कलकुलेशन करवाया था विभाग में कि एक विद्यार्थी के उपर राज्य सरकार का कितना खर्च हो रहा है,मैं सदन को यह बतलाना चाहूंगा कि जो आक्कलन आया, उसमें लगभग ६० से ६५ हजार रुपया प्रति छात्र राज्य सरकार जनता का धन खर्च कर रही है। यह सिर्फ अभी हम इन्फ्रास्ट्रक्चर में बहुत खर्च महोदय नहीं कर पा रहे हैं,इसलिए कि हमारे जो वित्तीय संसाधन हैं,उन संसाधनों को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों का वेतन-भत्ता का भुगतान करने में भी हमें कठिनाई हो रही है। तो क्या राज्य सरकार को यह अधिकार नहीं है कि वह देखें कि खर्च किस प्रकार किया जा रहा है। महोदय, सुप्रीम कोर्ट ने एस० सी० अग्रवाल कमीशन के रिकोमेनडेशन को मान लिया और उसमें तीन प्रकार का लिस्ट, लिस्ट-१, लिस्ट- २ एवं लिस्ट-३,उसमें स्पष्ट रुप से कहा कि जो लोग लिस्ट-३ में है,उन्हें विश्वविद्यालयों की सेवा से विश्वविद्यालय हटा दें,परन्तु विश्वविद्यालयों ने हटाया नहीं,राज्य सरकार लगातार यहाँ से निदेश देती रही,अभी स्थिति यह है कि हजारों करोड़ रुपये का विचलन विश्वविद्यलायों के द्वारा किया गया,उन शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के वेतन-भत्ते भुगतान करने में,जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम तौर पर सेवा से मुक्त किये जाने का निदेश दिया था।

क्रमशः

श्री पी०के०शाही,मंत्री (क्रमशः) नतीजा हुआ कि एक बहुत बड़ा गैप विश्वविद्यालयों में हमेशा रहता है। आज की तारीख में यह स्पष्ट रूप से मालूम नहीं है कि विश्वविद्यालयों में शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों का वेतन एवं उन का पुराना बकाया और पेंशन इत्यादि में वास्तविक बकाया है क्या ? वह राशि कभी १२००करोड़, कभी १४००करोड़, कभी १७००करोड़, बड़ी विषम स्थिति का सामना हम कर रहे हैं । महोदय, जो संशोधन प्रस्तावित किये गये थे, उन के बारे में मैं संक्षेप में चर्चा करना चाहूंगा और सरकार का यह मत है कि किसी भी प्रकार विश्वविद्यालयों की स्वायतता में इन संशोधनों से इन्टरफेयरेंस नहीं हो रहा है । सरकार का यह मत भी है कि विश्वविद्यालयों का जो शैक्षणिक कार्यक्रम है, शिक्षण की उन की अपनी व्यवस्था है, उस में राज्य सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए । इसलिए संशोधनों की चर्चा मैं संक्षेप में करना चाहूंगा।

धारा २ में संशोधन प्रस्तावित है जिस में अभी जो अध्यापकों की परिभाषा है, उस परिभाषा को और परिमार्जित करने का प्रस्ताव है । बहुत सारे जो शिक्षक हैं, वास्तव में शिक्षण का कार्य करते हैं, अभी जो परिभाषा है,उस के अन्तर्गत अध्यापक की श्रेणी में नहीं माना जायेगा तो वैसे लोगों को भी अध्यापक की श्रेणी में लाने के लिये अध्यापक की परिभाषा को और विस्तारित किया जा रहा है।

धारा ३ में संशोधन है कि सरकार अगर आवश्कता समझती है तो विश्वविद्यालयों के क्षेत्राधिकार में परिवर्त्तन कर नये विश्वविद्यालयों का गठन कर सकती है । साथ ही साथ, जो नये विश्वविद्यालय गठित किये जायेंगे, जैसे सभी विश्वविद्यालय अधिनियमों में प्रावधान पहले भी था और अब भी हुआ करता है कि प्रथम बार कुलपति, कुलसचिव इत्यादि की नियुक्ति राज्य सरकार तीन वर्षों के लिये करेगी ।

धारा ७ में पदाधिकारियों को परिभाषित किया गया है । इस में पदाधिकारियों को घोषित करने के संबंध में और विस्तृत किया गया है ताकि भविष्य में कोई अन्य भी उस में पदाधिकारी की श्रेणी में आते हैं तो उन्हें पदाधिकारी के रूप में परिभाषित किया जा सके ।

धारा ८ में संशोधन है कि विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों का स्थानान्तरण राज्य सरकार की अनुशंसा पर करने के संबंध में है । महोदय, यह अनुभव रहा है कि विश्वविद्यालयों में विशेष तौर पर अन्तर-विश्वविद्यालय स्थानान्तरण में बहुत सारी विसंगतियां देखी गयी है और जो लोग विभिन्न प्रकार के एक्सटेनो कंसीडरेशन पर भी स्थानान्तरण कराते हैं, इस से कठिनाईयां उत्पन्न होती है । इसलिए यह एक बीच में बफर क्रियेट करने का प्रयास किया गया है कि राज्य सरकार की अनुशंसा पर स्थानान्तरण किया जा सके ।

धारा ९ में जो संशोधन है वह है विश्वविद्यालयों के वित्तीय मामलों की जांच कराने के संबंध में । महोदय, राज्य सरकार विश्वविद्यालयों को जनता का धन दे रही है तो राज्य सरकार को निश्चित और पर यह अधिकार होना चाहिए

कि विश्वविद्यालयों में धन का खर्च, जिन उद्देश्यों के लिए धन उपलब्ध कराया जा रहा है, उनके लिये हो रहा है या उन का विचलन हो रहा है । इसलिए विश्वविद्यलयों के वित्तीय मामलों की जांच का अधिकार राज्य सरकार को होना चाहिए ।

धारा १० में संशोधन है महोदय, जिस के बारे में माननीय नेता,प्रतिपक्ष ने विस्तार से चर्चा की और उन के कुछ सुझाव भी थे कि ये सर्च कमिटी अन्य जगहों पर उन्होंने विशेष तौर पर हाईकोर्ट के एक नौमिनी को रखने की बात कही, यद्यपि कि मैं उस पेशे से आता हूं, हाईकोर्ट में मैं प्रैक्टिस किया हूं लेकिन एक प्रवृत्ति मैं देखता हूं, यही नहीं, देश के अन्य भागों में भी हर जगह हाईकोर्ट के नौमिनी को लाये जाने की बात क्यों की जाती है ? सरकार अपनी सार्वभौम शक्ति को क्यों दूसरी संस्था को बार-बार प्रस्ताव करती है, मुझे यह समझ में नहीं आता है । यह सरकार की अपनी शक्ति है । हर जगह हाईकोर्ट की नौमनी, ऐसा तो नहीं है कि विधायिका में इतने योग्य लोग नहीं हैं कि दूसरी संस्थाओं से लोगों को ले आया जाय या एकेडमिक्स में ऐसे योग्य लोग नहीं है कि दूसरे लोगों को ले आया जाय । हमेशा अविश्वासस की दृष्टि से देखना यह कोई स्वस्थ्य परंपरा का द्योतक नहीं है । इसलिये मैं समझता हूं कि इस में जो सर्च कमिटी की कल्पना की गयी है, महोदय, अगर आप देखें, सर्च कमिटी में कैसे-कैसे लोग हैं, बेशक उस में राज्य सरकार के नौमिनी हैं, परन्तु उस में आई०आई०टी०, निट, फिर यू०जी०सी० के नौमिनी हैं, इस के अतिरिक्त महोदय, इस में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा नामित व्यक्ति हैं, कुलाधिपति के द्वारा नामित व्यक्ति हैं, एक कुलपति हैं, भारतीय प्राद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय प्राद्योगिकी संस्थान के एक निदेशक हैं, देश के किसी भी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, इतने लब्ध-प्रतिष्ठित एकेडमीशियन्स की यह कमिटी है, इस में पुनः किसी प्रकार के फेर-बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है । उन्होंने कहा कि पांच होंगे तो स्टेट गवर्नमेंट की मेजोरिटी हो जायेगी, सात होंग तो नहीं होगी । इसीलिये ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था में ज्वाइंट्स में थोड़ा प्ले की व्यवस्था रखनी पड़ती है । पांच न्यूनतम है और अधिकत्तम सात है । इसलिए उन का यह सोच कि पांच ही रहेंगे, मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है । पांच भी हो सकते हैं, सात भी हो सकते हैं । मिनिमम और मैक्सिमम का प्रिंसिपुल लॉ में होता है । उसी को ध्यान में रखते हुये इस कमिटी का प्रस्ताव दिया गया है । महोदय,इसी प्रकार यह अनुभव के आधार पर धारा ३४ में संशोधन प्रस्तावित है । अभी विश्वविद्यालय अपना परिनियम बना लेते हैं । वित्त विभाग से परामर्श नहीं लेते हैं । नतीजा यह होता है कि दो विषमतायें देखी गयी है, दो विसंगतियां देखी गयी हैं। विभिन्न विश्वविद्यालयों के द्वारा अलग-अलग प्रकार के नियम बनाये गये है। दूसरी विसंगति यह है कि बिना राज्य सरकार विशेष तौर पर वित्त विभाग से परामर्श किये हुये इस प्रकार के कानून उन के द्वारा बनाये जाते हैं और अंततः उस का वित्तीय बोझ राज्य सरकार को वहन करना पड़ता है । इसलिए समरूपता एवं एकरूपता को ध्यान में

रखते हुये यह व्यवस्था की जा रही है कि किसी भी परिनियम,नियम,अध्यादेश इत्यादि बनाने के पहले राज्य सरकार उसे देख लेगी ।

इसी प्रकार धारा ४१ में संशोधन का प्रस्ताव है जिस में नियम,परिनियिम इत्यादि राज्य सरकार के प्राधिकार जिस समय यह अधिनियम विधान मंडल के समक्ष रखा गया था, उस समय एक प्राधिकार का भी प्रस्ताव था और उस प्रस्ताव को मद्दे नजर रखते हुये इस में कल्पना की गयी थी कि राज्य सरकार प्राधिकार से भी मंतव्य प्राप्त करेगी इस अधिनियम,परिनियम इत्यादि के बारे में ।

इसलिए महोदय इन सभी संशोधनों में मुझे नहीं लगता कि राज्य सरकार का विश्वविद्यालयों के एकेडमिक मैटर्स में किसी प्रकार का हस्तक्षेप हो रहा है, अपितु राज्य सरकार सिर्फ वित्तीय जो मामले, हैं उन मामलों पर एक नजर रखना चाहती है ताकि जनता का धन ठीक ढंग से खर्च हो सके । इसलिए महोदय, महामहिम के द्वारा जो जिस आधार पर एसेंट विथहोल्ड किया गया है, वह आधार उचित नहीं है । अतः मैं सदन से अनुरोध करूंगा कि इस प्रस्तावित विधेयक को पारित करने की कृपा करें ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी,नेता,विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, मैं आप के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो वित्त देते हैं विश्वविद्यालयों को, उस पर राज्य सरकार का अंकुश रहे, इस में कोई विवाद नहीं है और वित्तीय अनियमितता की जांच कराने का अधिकार सरकार को है और वित्तीय परामर्शी भी आप बहाल कर सकते हैं, उस में भी कोई आपत्ति नहीं है । सर्च कमिटी के बारे में जो आप ने प्रावधान किया है, आप ने कहा कि सात भी हो सकता है, पांच भी हो सकता है । मगर आप ने जो प्रावधान किया है कि सर्च कमिटी में तीन से कम और ५ से अधिक नही होगा । यानी कि अगर तीन से कम होगा तो यह आई०आई०टी० ,एन०आई०टी० के लोग शायद नहीं आ पायेंगे ।

क्रमशः :

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी(नेता विरोधी दल)(क्रमशः): सर्च कमिटी के बारे में आपने जो प्रावधान किया है,आपने कहा है कि सात भी हो सकता है,पांच भी हो सकता है। अगर आपने जो प्रावधान किया है कि सर्च कमिटी में तीन से कम और पांच से अधिक नहीं होगा तो यानि कि तीन से अगर कम होगा तो ये आई0आई0टी0,एन0आई0टी0 के लोग शायद नहीं आ पायेंगे,इसमें जो आपने किया है, प्रधान सचिव, राज्य के किसी विश्वविद्यालय के कुलपति,कुलाधिपति द्वारा नामित एक व्यक्ति सरकार द्वारा नामित एक व्यक्ति,विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नामित व्यक्ति, हमने जो अन्य राज्यों में मान्य परम्परा है, सर्च कमिटी का वो प्रस्ताव हमने आपको दिया, आप माने या न माने, यह आप पर निर्भर करता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का आपने जो जिक्र किया तो मैंने उससे पहले ही कहा कि आजादी के बाद जब इसी सदन से यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन भंग किया जा रहा था तो ऐज ऐ लीडर ऑफ ओपोजिशन, हमारे नेता जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने यूनिवर्सिटी की स्वायत्ता के बारे में बड़े विस्तार से चर्चा की थी और सरकार ने जो भंग करने का एक प्रोपोजल लाया था उसको वापस ले लिया। अब आपके यहां क्या हुआ? आपने यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन भंग कर दिया, उस समय भी हमलोगों ने कहा कि यूनिवर्सिटी कमीशन भंग नहीं करना चाहिए, उसकी स्वायत्ता बरकरार रखनी चाहिए, फिर घुमफिर कर के, फिर दूसरा बिल लेकर आये कि नहीं साहब यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन को बहाल करना चाहिए। हमारा कहना है कि सर्च कमिटी में जो भ्रम है, अगर वो भ्रम कि सरकारी अंकुश इस पर नहीं रहेगा तो सर्च कमिटी में कहां वित्तीय अनियमितता का सवाल उठता, आप सात रखते तो ठीक, पांच रखते हैं तो उसमें सरकारी प्रतिनिधियों की संख्या कम कीजिये।

श्री पी0के0शाही(मंत्री): जहां तक माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन जब रिपील किया जा रहा था तो इन्हें आपत्ति थी और उसी कम में जनजानयक कूपर्री ठाकुर द्वारा दिये गये वक्तव्य का इन्होंने उद्धरण दिया, इस पर इनका घ्यान मैं आकृष्ट करना चाहूंगा, सरकार ने बिहार यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन ऐक्ट को जब रिपील किया तो उद्देश्य हमारा यह नहीं था कि यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन का जो अधिकार है, सरकार अपने में समाहित कर लेगी ऐसा उद्देश्य नहीं था, कल्पना यह थी कि जो काम विश्वविद्यालय सेवा आयोग कर रहा है उन सारे कामों को विश्वविद्यालयों को ही डेलीगेट कर दिया जाये, उनके ही द्वारा नियुक्तियां की जाय, इसको घ्यान में रखते हुए बिहार यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन ऐक्ट को रिपील किया गया था परन्तु अनुभव के आधार पर ऐसा प्रतीत हुआ कि जो कल्पना थी कि विश्वविद्यालयों में उनकी अपनी कमिटीज द्वारा नियुक्तियां की जा सकेगी और बेहतर नियुक्तियां होगी, अनुभव के आधार पर वह प्रयोग सफल नहीं हुआ और उसी को घ्यान में रखते हुए पुनः यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन ऐक्ट की कल्पना हमलोगों ने प्रस्तावित की थी। महोदय,जहां तक माननीय नेता प्रतिपक्ष के चिन्ता का सवाल है, हम हमेशा घ्यान में रखेंगे कि विश्वविद्यालयों के जो उनका जो संचालन तंत्र है, उसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं हो, इसका सरकार हमेशा घ्यान रखेगी, सरकार स्वयं चाहती है विश्वविद्यालय की स्वायत्ता बनाये रखना, जहां तक मैंने कहा हम सिर्फ देखना चाहते हैं कि राज्य सरकार जो विश्वविद्यालय को धन उपलब्ध कराती है, जनता

द्वारा दिया गया पैसा उसका उपयोग समुचित ढंग से हो रहा है कि नहीं और जहां तक सर्च कमिटी बनाने का सवाल है, सरकार हमेशा देखेगी कि ऐसा सर्च कमिटी बने जो बिल्कुल पारदर्शी ढंग से चयन कर सके और नामों की अनुशंसा कर सके।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है

कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक,2011 स्वीकृत हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

बिहार राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक,2011 स्वीकृत हुआ।

<u>पटना विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक,2011</u>

अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण,अब मैं पटना विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक,2011 को लेता हूँ। माननीय प्रभारी मंत्री,मानव संसाधन विकास विभाग।

श्री पी0के0शाही(मंत्री): महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूँ

कि पटना विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक,2011 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है

कि पटना विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक,2011 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गयी।

श्री पी0के0शाही(मंत्री): मैं इसे पुर:स्थापित करता हूँ।

अध्यक्ष: यह पुर:स्थापित हुआ। अब मैं विचार का प्रस्ताव लेता हूँ।

श्री पी0के0शाही(मंत्री): मैं प्रस्ताव करता हूँ

कि पटना विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक,2011 पर विचार हो।

अध्यक्ष: प्रश्न यह है

कि पटना विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक,2011 पर विचार हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष: अब मैं खंडश: लेता हूँ। खंड-2 से 7 तक में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है

कि खंड-2 से 7 तक इस विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।